

No. HQ/PIO/RTI/56/15

Dt: 26.02.2015

डा. एम. एन. अंसारी,
17,18 खालापार,
मुजफ्फरनगर.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: Your application dt. 06.01.2015, received in this office on 28.01.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दूवार सूचना निम्नलिखित है:-

1. सक्षम प्राधिकारी- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी सहारनपुर को संबोधित इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.08.2013 की छाया प्रति संलग्न है।
2. (क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(छ) व (ज) के अन्तर्गत 83 चैकों का विवरण दिया जाना समीचीन नहीं है।
(ख) चैकों पर हस्ताक्षर न करने के संबंध में निर्देश, बिन्दु-1 में दिये गये पत्र में ही उल्लेखित है।
(ग) चैकों पर हस्ताक्षर करने हेतु निगम कार्यालय से प्राप्त निर्देश दिनांक 01.09.2014 की छाया प्रति संलग्न है।
3. (क) अधिवक्ता द्वारा दी गयी विधिक राय दिनांक 27.06.2014 की छाया प्रति संलग्न है।
(ख) उपरोक्त विधिक राय पूर्व में प्रभावित ग्रामों की अधिग्रहित भूमि के सम्बंध में ही चाही गयी थी।
(ग) उपमुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त विधिक राय स्व-विवेक से चाही गयी थी।
4. पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना के संशोधित संरेखण में जिला मुजफ्फरनगर की तहसील खतौनी के ग्राम टिटौडा, भयांगी, टबीटा, मढकरीमपुर, मुबारिकपुर, खतौली अर्बन, भैसी, शेरपुर, जहाँगीरपुर, खानूपुर, इस्लामाबाद, हुसैनपुर बोपाडा, बेगराजपुर तथा तहसील सदर का ग्राम नरा, जडौदा, सीमली, मीरापुर, मन्धेडा, पीनना, सलेमपुर, महमूदपुर उर्फ लकडसधा, कल्याणा, कल्लरपुर, कछौली, कस्यारा, जटनंगला, बधाई खुर्द व आखलौर प्रभावित हो रहे हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है।
5. प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम - जी.एम/एडमिन
पता - डी.एफ.सी.सी.आई.एल., 5 वाँ तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन परिसर, नई दिल्ली-110001.

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

Copy to: CPM/Meerut


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO


27/2
DESPATCH